राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान

बिरला मंदिर के सामने, जे.एल.एन.मार्ग जयपुर–302005, ई–मेलःctp-rj@nic.in, nagarniyojanabhiyan2021@gmail.com
वेबसाईटःhttps://urban.rajasthan.gov.in/ctp

क्रमांक : टीपीआर :1000:102 / प्रोजेक्ट / P.S.K.S   दिनांक :

शुद्धिकरण–पत्र

विभागीय पत्र क्रमांक 6688 दिनांक 14.07.2021 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत नगरीय निकायों में शहरी नागरिकों को तकनीकी सहयोग हेतु विशेष रूप से सृजित वैकल्पिक व्यवस्था के तहत "नगर मित्रों का पंजीकरण" बाबत आवेदन प्राप्त करने हेतु अनुमोदित / निर्धारित एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड पंजीकरण प्रपत्र के विभिन्न बिन्दुओं को निम्नानुसार पुनः स्पष्ट किया जाता है –

1. बिन्दु सं. 03 (ख) पर उल्लेखित तालिका के क्र. सं. 02 व 03 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन शहरों / कस्बों में नगर विकास न्यास एवं नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका स्थित एवं कार्यरत है वहां नगर विकास न्यास हेतु निर्धारित शुल्क की दर से पंजीकरण किया जावेगा।
2. बिन्दु सं. 03 (घ) द्वितीय बिन्दु (बुलेट) के नोट में उल्लेखित नगर परिषद से पहले "नगर निगम /" भी जोड़ा जाता है।
3. संलग्नक–1 के साथ संलग्न पंजीकरण हेतु वांछित दस्तावेजों की सूची के क्र. सं. 04 पर उल्लेखित पंजीकरण शुल्क को पंजीकरण आवेदन शुल्क पढ़ा जावे।

-sd-
(आर. के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर :1000:102 / प्रोजेक्ट / P.S.K.S | 7907   दिनांक : 5 AUG 2021

प्रतिलिपिः– नोडल अधिकारी (विभागीय वेबसाइट), कार्यालय मुख्य नगर नियोजक को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने के संबंध में संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करावें।

भवदीय,

4/8/2021
(संदीप दंडवते)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व),
राजस्थान, जयपुर।